

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated-----25/01/2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.400** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of motor road "**Silangi to Senj**" in Chamoli district falls within jurisdiction "**Senj**, in **Karanpryag** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.400** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha '**Senj**' sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

25/1/18
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

बमोली

ANNEXURE....
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashish Josi, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 25/01/2018 at time 16:00 hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 0.750 hect for the construction of motor road "Silangi to Senj" and forest land 0.400 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 25/01/2018

25/1/18
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हे० आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हे० कुल भूमि 0.400 हे० आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग आरक्षित वन भूमि 0.350 हे०, एवं मक डिस्पोजल 0.050 हे० अर्थात् कुल 0.400 हे० भूमि का अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 21/11/12 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जे. एन. शर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री जे. एन. शर्मा उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग अध्यक्ष।
- 2- श्री अनुराज कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी वद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, सदस्य।
- 3- श्री धनराज सहायक समाज कल्याण अधिकारी गोपेश्वर सदस्य / सचिव।
- 4- श्री सुशीला देवी बी०डी०सी० क्षेत्र चमोली सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.400 हे० आरक्षित वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रख गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी वद्रीनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.400 हे० आरक्षित वन भूमि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सुशीला देवी
सदस्य

क्षेत्र पंचायत चमोली वाई
वि०स० कर्णप्रयाग (चमोली)

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- सिलंगी
तहसील- जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेरा

मोटर मार्ग मार्ग के निर्माण से 0.35 हे० भारत वन
सिविल/वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.05 हे०, कुल 0.40 हे० सिविल

वन/वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में लो.नि.व. द्वारा दिनांक 3/6/17 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम सेरा के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक
निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई
आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/— नम्रपाल
ग्राम सचिव

ह०/—
ग्राम प्रधान



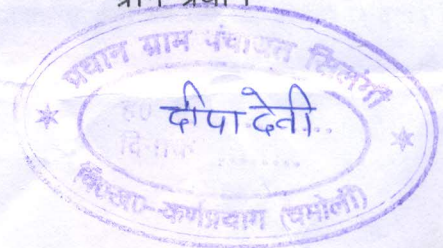
दिनांक 26/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिलोनी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोकुल सिंह	गोकुल सिंह
2	मंगल सिंह	मंगल सिंह
3	महिपाल सिंह	महिपाल सिंह
4	वीर सिंह	वीर सिंह
5	मवीन सिंह	मवीन सिंह
6	मालवी सिंह	मालवी सिंह
7	सोहन सिंह	सोहन सिंह
8	गज सिंह	गज सिंह
9	सुखी सिंह	सुखी सिंह
10	अमर सिंह	अमर सिंह
11	गुलाब सिंह	गुलाब सिंह
12	मोहन सिंह	मोहन सिंह
13	योगेश्वर सिंह	योगेश्वर सिंह
14	वीर सिंह	वीर सिंह

ह0/---

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हे० आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हे० कुल भूमि 0.400 हे० आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-सेंज
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

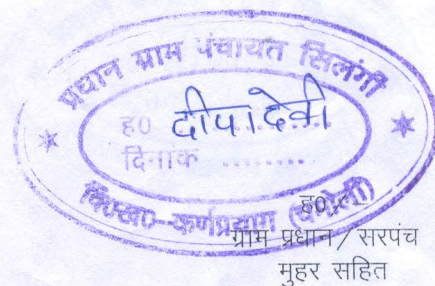
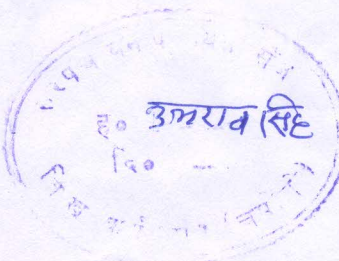
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.350 हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हे०, अर्थात् कुल 0.400 हे० आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सेंज द्वारा दिनांक 31/6/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह किवन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सेंज के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.400 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित
एम० कजवाल
ग्र०पं०वि०अ०



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हे० आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हे० कुल भूमि 0.400 हे० आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

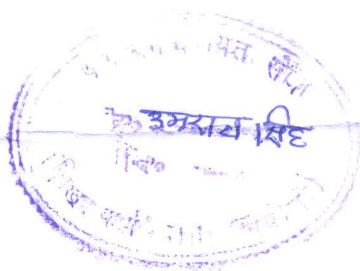
आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

दिनांक - 31/6/17

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कि०मी० 0.00 से 0.500 कि०मी० में आरक्षित वन भूमि 0.350 हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हे० भूमि हेतु जो संरेखण तय किया गया है। उस आरक्षित वन भूमि में हमारी ग्रामसभा को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाय।

ग्राम प्रधान/सदस्य
मुहर सहित



प्रमाणित किया जाता है ग्राम पंचायत
 सिलंगी के अन्तर्गत ग्राम सेंज में
 रीउ के सम्बन्ध के वेदक की गा
 जिसमें ग्राम सेंज के सम्बन्ध ग्राम
 वासियों को कोई आपत्ति नहीं है
 जिसमें के कि विभाग द्वारा ग्राम वासियों
 को अवगत कराया गया तब ग्राम
 वासियों को इस सम्बन्ध के कोई
 आपत्ति नहीं है।



नम -

भादवर सिंह

भोगेन्दर सिंह

भंगल सिंह

जगत सिंह

सुरवीर सिंह

भवान सिंह

सोहन सिंह

नरेन्द्र सिंह

राजे सिंह

ह0
 भादवर सिंह

YS Rawat

मेगल सिंह

जगत सिंह

सुखवीर सिंह

BHARAN Singh

Devendra Singh

नरेन्द्र सिंह

राजे सिंह (उपप्रधान)